छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
: : मंत्रालय : :
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
E-mail : revenue.cg@gov.in, दूरभाष क्र.–0771–2510994

क्रमांक 1950/70/2024/सात–4 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23 AUG 2024

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिला,
छत्तीसगढ़।

विषयः– एग्रीस्टैक परियोजना अंतर्गत "डिजिटल फसल सर्वेक्षण" के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में तीन जिलों क्रमशः **धमतरी, महासमुंद एवं कबीरधाम** को खरीफ 2024 हेतु डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। उक्त जिलों में प्रत्येक ग्राम में, संलग्न **अनुसूची एक** के जिलों में जिला मुख्यालय के तहसील के प्रत्येक ग्राम में तथा शेष जिलों में कलेक्टर द्वारा चयनित 05 ग्राम में खरीफ 2024 में लगाये गये फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। यह कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये पोर्टल एवं एप पर निम्नलिखित निर्देशों के अधीन किया जाना है।

2/ **समय–सीमा** – अनुसूची एक के किसी जिला विशेष में मुख्यालय तहसील से भिन्न किसी तहसील का चयन अपेक्षित होने पर जिला कलेक्टर 25 अगस्त, 2024 तक तदानुसार अनिवार्य सूचित करेंगे। सर्वेक्षण में कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों यथा जिला नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सर्वेक्षण के अधीन तहसीलों के तहसीलदार, मास्टर ट्रेनर, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी का प्रशिक्षण 31 अगस्त, 2024 तक सुनिश्चित किया जावे। सर्वेक्षण कर्ताओं का चयन 30 अगस्त, 2024 तक करते हुए विभाग को इनकी जानकारी प्रदान की जावे। सर्वेक्षण कर्ताओं को प्रशिक्षण 07 सितम्बर, 2024 तक अनिवार्यतः प्रदान की जावे। डिजिटल फसल सर्वेक्षण 09 सितम्बर, 2024 से प्रारंभ करते हुए 30 सितम्बर, 2024 तक की अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3/ **सर्वेक्षण कर्ताओं का चयन** – सर्वेक्षण कर्ता का चयन निम्नानुसार पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।

(क) **डिजिटल फसल सर्वेक्षण किये जाने हेतु सर्वेक्षण कर्ताओं की योग्यता –**

1. प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता (महिला/पुरूष) को न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्राथमिकता का क्रम क्रमशः कृषि स्नातक, विज्ञान स्नातक, विज्ञान से 12 वीं पास, 12 वीं पास, 10 वीं पास होगा।

2. उसके पास स्वयं का एड्रांयड मोबाईल वर्जन 9+ हो जिसमें इंटरनेट होना आवश्यक है।
3. सर्वेक्षण कर्ता का बैंक खाता एवं आधार नंबर होना आवश्यक हैं।
4. सर्वेक्षण कर्ता सर्वेक्षण के दौरान ग्राम में आवश्यक रूप से उपलब्ध हो।
5. सर्वेक्षण कर्ता ग्राम का निवासी हो। ग्राम के निवासी समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा निकटवर्ती ग्राम के निवासी को अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय या उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थी को चयनित किया जा सकेगा।
6. सर्वेक्षण कर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो।

(ख) **संख्या** – प्रत्येक ग्राम में अधिकतम 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर सभी आवेदकों को प्राथमिक स्तर पर काम सौंपा जा सकेगा।

(ग) **भूमिस्वामी/कृषक जो किसी भी उम्र या शैक्षणिक योग्यता के हों, भी स्वेच्छा से** अपने सर्वेक्षण नंबर (खेत) का DCS (डिजिटल फसल सर्वेक्षण) कर सकता है, उन्हें इस हेतु कोई मानदेय प्रदाय नहीं किया जाएगा।

4/ <u>**सर्वेक्षण कर्ताओं का कार्य एवं मानदेय –**</u>

(क) प्रशिक्षण – सर्वेक्षण कर्ताओं को तहसील अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर प्रदान किया जावेगा। सर्वेक्षण कर्ताओं में परिवर्तन होने पर नवीन सर्वेक्षण कर्ताओं को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) सर्वेक्षण कार्य आबंटन – सर्वेक्षण कर्ताओं को प्रत्येक दिवस उनके ग्रामवार संपादित किये जाने वाले फसल सर्वेक्षण कार्य हेतु खसरों का आबंटन तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जावेगा। प्रथम दिवस प्रत्येक पात्र आवेदक को 25 खसरा सौपा जायेगा। सर्वेक्षक के कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के आधार पर अगले दिवस के लिए नवीन खसरा आबंटित किया जायेगा। सर्वेक्षण की कार्य कुशलता को देखते हुए किसी दिवस विशेष में बार–बार खसरा आबंटित किया जा सकेगा। यह आबंटन "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।

(ग) **मानदेय** – प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता को प्रत्येक सर्वे के लिए एप के माध्यम से सही सर्वेक्षण एवं अपलोड करने तथा स्वीकृत हो जाने की दशा में 10 रूपये प्रति खसरा मानदेय आधार–संबद्ध बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जावेगा। किसी खातेदार द्वारा अपने खाते का स्वयं सर्वेक्षण किये जाने की स्थिति में कोई मानदेय देय नहीं होगा।

5/ <u>**पर्यवेक्षण (सुपरविजन)**</u> – सर्वेक्षण कर्ता द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों का संबंधित हल्का पटवारी द्वारा पर्यवेक्षण प्रत्येक दिवस किया जावेगा।

6/ **सत्यापन (वेरीफिकेशन)** – सर्वेक्षण कर्ता द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये प्रविष्टियों का संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जावेगा। प्रविष्टि के दो दिवस के भीतर सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

7/ **कार्यो की जॉच** – डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों की जाँच शीघ्र–अतिशीघ्र संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।

8/ **समीक्षा** – कार्यालय आयुक्त, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़ के परिपत्र क्रमांक 4304/आ.भू.अ./सर्वे तक./2024, दिनांक 01.08.2024 **(अनुसूची दो)** के द्वारा तहसील स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के गठन के निर्देश प्रदान किये गये हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं समीक्षा उक्त समितियों के द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत समय–सीमा में समस्त कार्यों का गुणवत्तापूर्वक सम्पादन की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी। जिला कलेक्टर डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्यों की साप्ताहिक प्रगति की जानकारी विभाग को सर्वेक्षण अवधि में प्रत्येक बुधवार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

23.8.24

(अविनाश चम्पावत)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुसूची एक

क्र.	संभाग	जिला
1	रायपुर	बलौदाबाजार–भाटापारा
2		रायपुर
3	बिलासपुर	बिलासपुर
4		गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही
5		जांजगीर–चांपा
6		कोरबा
7		मुंगेली
8		रायगढ़
9		सक्ती
10		सारंगढ़–बिलाईगढ़
11	दुर्ग	बेमेतरा
12		दुर्ग
13		खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई
14		मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी
15		राजनांदगांव
16	सरगुजा	जशपुर

अनुसूची दो

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़,

इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक नं.--02, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन नं. 0771-2234503, 2234604, 2234570, फैक्स 0771-2237400, 0771-2234579

क्र./ 4304/आ.भू.अ./सर्वे तक./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09/08/24

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त.....................................,
छत्तीसगढ़

विषय :- Agristack के संचालन, अनुश्रवण (Monitoring) एवं विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु क्रियान्वयन समिति (Implementation Committee) का गठन बावत्।

संदर्भ :- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. Z-11021/60/2022 Digital Part-I नई दिल्ली, दिनांक 22.02.2024

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि छ.ग. राज्य में Agristack के सफल संचालन, अनुश्रवण एवं संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

कृपया अवगत हो कि छ.ग. राज्य में खरीफ 2024 से एग्रीस्टेक कार्य हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 03 जिला क्रमशः धमतरी, महासमुंद एवं कबीरधाम का चयन किया गया है, जिसमें जियोरिफेंसिग सर्वेक्षण का कार्य, कार्य एजेन्सी चिप्स (Chips) के माध्यम से पूर्ण कर लिया गया है। इसके पश्चात मैदानी स्तर पर पायी जाने वाली विसंगतियों को राजस्व अमला के माध्यम से दूर किया जाना है।

इसी के तारतम्य में प्रत्येक जिलावार संलग्न प्रारूप अनुसार जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाना है। (प्रारूप संलग्न)

अतः उपरोक्त क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाकर शीघ्र सूचित करें।

08/2024

संचालक
भू-अभिलेख छ.ग.,
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रारूप –1 जिला स्तरीय कियान्वयन समिति

स.क्र.	अधिकारी एवं विभाग	पदस्थिति
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	उप संचालक, कृषि	सदस्य
3	उप संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
4	प्रतिनिधि, वनमण्डलाधिकारी	सदस्य
5	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	सदस्य
6	प्रतिनिधि, एन.आई.सी.	सदस्य
7	प्रतिनिधि, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
8	प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख	सदस्य सचिव

टीप – समस्त अधिकारियों के नाम एवं मोबाईल नंबर तथा ई–मेल आवश्यक रूप से प्रविष्ठि करें।

प्रारूप –2 तहसील स्तरीय कियान्वयन समिति

स.क्र.	अधिकारी एवं विभाग	पदस्थिति
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष
2	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि)	सदस्य
3	सहायक संचालक (उद्यानिकी)	सदस्य
4	रेंजर, वन वृत्त	सदस्य
5	मंडल संयोजक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	सदस्य
6	सहायक प्रोग्रामर, NIC	सदस्य
7	प्रतिनिधि कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
8	तहसीलदार	सदस्य सचिव